LEIAT LIBRAR

# **Inte Gazette of India**

# असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3--उप-खण्ड (li)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

र्स॰ 670 ]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 1995/अग्रहायण 10, 1917
No. 670]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1995/ AGRAHAYANA 10, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

( परिवहम पक्ष )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1995

काम आम 947 (अ).—गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 5 ए की उपधारा (3) तथा (4) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 15 मई 1989 की अधिसूचना संख्या काम आम 358 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त धारा 5ए की उपधारा (1) के अधीन गठित कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

#### केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- 1. अध्यक्ष, कांडला पत्तन-न्यास, कांडला ।
- 2. उप सचिव (श्रम), जल भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- उपाध्यक्ष, कडिला गोदी श्रमिक बोर्ड ।
- 4. यातायात प्रबंधक, कांडला पत्तन-न्यास, कांडला।
- सहायक आयुक्त (एल), गुजरात सरकार, गांधीधाम।

#### गोदी अमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- 1. श्री एम॰ के॰ असवानी
- श्री एम॰ जे॰ पिल्लई
- श्री के॰ एच॰ कम्नड
- श्री मनोहर जी॰ कोतवाल

कांडला पत्तन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि।

श्री एम॰ एल॰ बेलानी

परिवहन एवं गोटी श्रमिक यूनियन कांडला पत्तन के प्रतिनिधि

2877 GI/95

(1)

# गोदी कामगारों के नियोक्ताओं और नौकहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

- श्री एच॰ जे॰ वैद्य-कांडला स्टीवीडोर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि।
- श्री एस॰ पी॰ लखनपाल—कांडला पोर्ट स्टीवीडोर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि।
- श्री के॰ एम॰ जेसवानी---कांडला पोर्ट स्टीमशिप एजेंट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि।
- कैप्टन एस॰ मल्होत्रा--इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि।
- संयुक्त प्रबंधक ('पी॰ ओ॰),एफ॰ सी॰ आई॰— भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि।

2. केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास, कांडला के अध्यक्ष को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

### [फा॰ सं॰ एल॰ बी॰-13014/1/94-यू॰ एस॰ (एल)] ़ सी॰ एस॰ खैरवाल, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Transport Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1995

S.O. 947 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of Section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 358 (E) dated 15th May, 1989, the Central Government hereby appoints the following persons to be members of the Kandla Dock Labour Board established under sub-section (1) of the said Section 5A, namely :--

# MEMBERS REPRESENTING THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Chairman, Kandla Port Trust, Kandla.

- 2. Deputy Secretary (Labour), Ministry of Surface Transport, New Delhi.
- 3. Dy. Chairman, Kandla Dock Labour Board, Kandla.
- 4. Traffic Manager, Kandla Port Trust, Kandla.
- 5. Asstt. Commissioner (L), Government of Gujarat, Gandhidham.

## MEMBERS REPRESENTING THE DOCK WORKERS

- 1. Shri M.K. Aswani
- 2. Shri M.J. Pillai
- 3. Shri K.H. Kannad
- 4. Shri Manohar G. Kotwal
- 5. Shri M.L. Bellani

Representatives of Kandla Port Karamchari Sangh.

- Representatives of Transport & Dock Workers Union,
- Kandla Port.

# MEMBERS REPRESENTING THE EMPLOYERS OF DOCK WORKERS & SHIPPING COMPANIES

- 1. Shri H.J. Vaidya-Representative of Kandla Stevedores' Association.
- 2. Shri S.P. Lakhanpal-Representative of Kandla Port Stevedores' Association.
- 3. Shri K.M. Jeswani-Representative of Kandla Port Steamship Agents Association.
- 4. Capt. S. Malhotra-Representative of Indian National Shipowners Association.
- 5. Joint Manager (PO), FCI-Representative of Food Corporation of India.

2. The Central Government hereby nominate the Chairman, Kandla Port Trust, Kandla, as the Chairman of the said Board.

[F. No. LB-13014/1/94-US(L).] C.S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

2